

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वन मंत्री, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01 / योबजट-17 / 2018-09 दिनांक : 02.01.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमंडल, राँची ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वयित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत आकस्मिक मजदूरों का मजदूरी भुगतान हेतु कुल रु0 8.913 (आठ लाख एकानबे हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का उप आवंटन आदेश संख्या 01 / योबजट-17 / 2018-898 दिनांक 13.07.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पूर्व में उप आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि कुल 9 (नौ) आकस्मिक मजदूरों का मजदूरी भुगतान हेतु 8.913 (आठ लाख एकानबे हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन मजदूरी मद में किया जाता है ।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक- 2 के रूप में द्रष्टव्य है ।

3. पूर्व उप आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप आवंटन है । पूर्व उप आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-17 / 2018- 09 दिनांक- 02.01.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची / कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन प्रबंधन सुविधाएं योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत प्रमण्डलवार / कार्यालयवार कार्यरत आकस्मिक मजदूरों के लिए उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	आकस्मिक मजदूरों की संख्या	प्राक्कलित राशि
i	ii	iii	iv
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	9	8.913
योग :-		9	8.913

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,
झारखण्ड, राँची।





आवंटन आदेश

आरक्षण सरकार


चातू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-17/2018/9

दिनांक -

02-Jan-2

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय धेर उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	79719	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	891,300.00 रुपये आठ लाख इनकानवे हजार तीन सौ



891,300.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये आठ लाख इनकानवे हजार तीन सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF(D)ADHARAKHAND(RANCHI)